<table>
<tr><th>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</th><th>पदाधिकारी का आदेश एंव हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि</th></tr>
<tr><td>10.5.18</td><td>

**जमाबंदी रद्द वाद संख्या 147/2017–18**

**राज्य बनाम महेश कुमार श्रीमल पिता श्री राम कुमार श्रीमल साकिन बिरनगडा, पीरटांड**

**आदेश**

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 237 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अभिलेख अन्तर्गत मौजा बिरनगडा थाना नं0 98 के खाता नं0 46/06, प्लॉट नं0 428 रकवा 0.31 1/3 एकड़ गैरमजरूआ खास परती भूमि की **महेश कुमार श्रीमल पिता श्री राम कुमार श्रीमल साकिन बिरनगडा, पीरटांड** के नाम कायम अवैध जमाबंदी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के आलोक में रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख अन्तर्गत पक्षकारों को सूचना निर्गत कर भिन्न–भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।

अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुएः–

मौजा बिरनगडा थाना नं0 98 के खाता नं0 46/06, प्लॉट नं0 428 रकवा 0.31 1/3 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास परती भूमि है।

प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी बगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है।

पक्षकार द्वारा प्रश्नगत भूमि के दावा संबंधी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

स्पष्ट है कि सरकार के हित को नुकसान पहुँचाने एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उदेश्य से पंजी II में अनाधिकृत प्रविष्टि की गई है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा बिरनगडा थाना नं0 98 के खाता नं0 46/06, प्लॉट नं0 428 रकवा 0.31 1/3 एकड़ गैरमजरूआ खास परती भूमि की **महेश कुमार श्रीमल पिता श्री राम कुमार श्रीमल साकिन बिरनगडा, पीरटांड** के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

10/5/18

अपर समाहर्त्ता,<br>गिरिडीह।

उपायुक्त, गिरिडीह।

</td><td></td></tr>
</table>